

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 210 / 2010
संस्थान दिनांक 28.05.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. साहूकारिया पिता साहदरिया, आयु 33 वर्ष,
निवासी-भूलगौव, सेंधवा ग्रामीण, जिला बड़वानी म.प्र.
2. अमजद पिता मुबारिक, आयु 30 वर्ष,
निवासी-ग्राम पिसनावल, सेंधवा ग्रामीण, जिला बड़वानी म.प्र.
3. जगदीश पिता बाबुलाल पाटीदार, आयु 42 वर्ष
निवासी-सिंघाना, थाना मनावर, जिला धार म.प्र.
हाल मुकाम ग्राम पिपलाज, थाना बड़वानी म.प्र.
4. राजेसिंह पिता बोखारसिंह मण्डलोई, आयु 44 वर्ष,
निवासी-ग्राम पिपल्या बुजुर्ग, थाना करही,
तहसील महेश्वर, जिला खरगोन म.प्र.

-----अभियुक्तगण

//निर्णय //

(आज दिनांक 30.06.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 18/2010 अंतर्गत 379 भा.द.सं. एवं वन सम्पदा 1927 की धारा 26 (च) 26, एवं म.प्र. वन उपज अधिनियम, 1969 की धारा 5 में दिनांक 28.05.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर दिनांक 12.01.2010 को समय लगभग 6:30 बजे, ग्राम बिलवा मोड़ पर पुलिया के पास अभियुक्तगण साहूकारिया, जगदीश, अमजद ने अवैध रूप से काटी गयी सागवान की लकड़ियों की सिल्ली नग 44 चोरी से भरकर अवैध क्रय-विक्रय हेतु अवैध रूप से वाहन महेन्द्रा पिकप क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए. 0118 में परिवहन करने और अभियुक्त राजेसिंह ने अपने वाहन का उपयोग इस हेतु करने की अनुमति देकर सहयोग करने संबंध में अभियुक्तों पर धारा 379 सहपठित धारा 34 भा.द.सं., धारा 41/42 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 5/16 म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियम अधिनियम) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 12.01.2010 को थाना प्रभारी कमल किशोर मिश्रा को टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि बिलवा मोड़ पर पुलिया के पास एक महेन्द्रा पीकअप सफेद रंग की क्रमांक एम.पी. 12 जी. ए. 0118 सागवान की लकड़ी सिल्ली से भरी हुई पलट गई है जिसके आसपास कोई नहीं है। सूचना पाकर मय प्रधान आरक्षक दुलीचंद, आरक्षक भारत व विक्रम के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और देखा कि उक्त वाहन में सागवान की 44 लकड़ी सिल्लिया करवत से काटी हुई चौरस भरी पाई गई व वाहन रोड़ के दाहिनी ओर पलटी हुई अवस्था में मिला। उक्त सागवान लकड़ी अज्ञात अभियुक्त जंगल से काटकर चोरी से वाहन में भरकर वन सम्पदा का परिवहन कर व्यवसाय कर रहे थे। पुलिस ने वाहन क्रमांक एम. पी. 12 जी. ए. 0118 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 18/2010 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. एवं वन सम्पदा, 1927 की धारा 26 (च), 26 एवं म.प्र. वन उपज व्यापार अधिनियम, 1969 की धारा 5 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 3 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष बिलवा रोड़ पास रोड़ किनारे से वाहन महेन्द्रा पीकअप क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए. 0118 और वाहन में लकड़ी सागवान की सिल्लियों चौरस नग 44 जप्त कर प्रदर्शपी 2 का जप्ती पंचनामा बनाया, अभियुक्त जगदीश से साक्षियों के समक्ष 3 नग सागौन की चौखट को जप्त कर प्रदर्शपी 21 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त साहूकारिया, अमजद व जगदीश से पूछताछ कर प्रदर्शपी 8 लगायत 10 के धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन बनाया, अभियुक्तगण साहूकारिया, अमजद, जगदीश, राजेसिंह को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 5, 11, 20, 6 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये थे व अनुसंधान के दौरान साक्षीगण प्रेमचंद, भगवान, किशोर, देवेन्द्र, मांगीलाल, बंशीलाल व विक्रम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. एवं वन सम्पदा, 1927 की धारा 26 (च) एवं म.प्र. वन उपज अधिनियम, 1969 की धारा 5 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 379 सहपठित धारा 34 भा.द.सं., धारा 41/42 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 5/16 म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियम अधिनियम) के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि –

1. क्या दिनांक 12.01.2010 को समय लगभग 6:30 बजे, ग्राम बिलवा मोड़ पर पुलिया के पास अभियुक्तगण साहूकारिया, जगदीश, अमजद ने अवैध रूप से काटी गयी सागवान की लकड़ियों की सिल्ली नग 44 चोरी से भरकर अवैध क्रय-विक्रय हेतु अवैध रूप से वाहन महेन्द्रा पिकप क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए. 0118 में परिवहन किया ?

2. क्या अभियुक्त राजेसिंह ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अपने वाहन का उपयोग इस हेतु करने की अनुमति देकर सहयोग किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्रेमचंद (अ.सा.1), किशोर (अ.सा.2), भगवान (अ.सा.3), उपनिरीक्षक के.के. मिश्रा (अ.सा.4), नगर सैनिक विक्रम कौशल (अ.सा.5), देवेन्द्र (अ.सा.6) जगदीश (अ.सा.7), पंचायत सचिव ग्यारसीलाल जाधव (अ.सा.8), लिपिक चन्द्रशेखर बाथम (अ.सा.9), बंशीलाल (अ.सा.10), राधेश्याम तिवारी (अ.सा.11) एवं निरीक्षक के.एल. वरकड़े (अ.सा.12) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी उपनिरीक्षक के.के. मिश्रा अ.सा.4 का कथन है कि दिनांक 12.01.2010 को वह थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ही उसे टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि बिलवा रोड़ पर पुलिया के पास एक वाहन महेन्द्रा पीकअप सफेद रंग की क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए 0118 जिसमें सागवान की लकड़ी भरी हुई थी पलट गई। सूचना पाकर प्रधान आरक्षक दुलीचंद पाटीदार एवं आरक्षक विक्रम के साथ घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ पर उसने सागवान की 44 नग सिल्लियाँ और पीकअप वाहन पलटा हुआ पाया। सागवान की लकड़ियाँ करवत से काटी हुई थी तथा चौरस थी। घटनास्थल पर वाहन का चालक एवं मालिक तथा लकड़ी का मालिक नहीं मिला। उसके द्वारा घटनास्थल से उक्त वाहन महेन्द्रा पीकअप सफेद रंग की क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए 0118 तथा उसमें भरी सागवान की 44

नग सिल्लियों प्रदर्शपी 2 के अनुसार जप्त की थी जिसके ई से ई और एफ से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त दिनांक को साक्षीगण प्रेम, भगवान और किशोर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। जप्त वाहन लकड़ियों सहित थाने पर लाये तथा अपराध क्रमांक 18/10 का दर्ज किया था जो प्रदर्शपी 3 है जिसका ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने जप्त सागवान की लकड़ियों के संबंध में दिनांक 10.02.2010 को वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजपुर को पत्र लिखकर सिल्लियों का भौतिक सत्यापन एवं सुपुदर्गी का पत्र भेजा था। उसके बाद वन विभाग के अधिकारी थाना अंजड़ पर आये और उसके द्वारा जप्त सिल्लियों की नाप तोल कर अपना मार्क लगाया था, जो रिपोर्ट प्रदर्शपी 4 ए एवं 4 बी है। उसने अभियुक्त साहूकारियों को दिनांक 08.02.2010 को रिगफ्तार किया था तथा अभियुक्त राजेसिंह को दिनांक 18.05.2010 को गिरफ्तार किया था तथा उसने दिनांक 22.03.2010 को परिवहन अधिकारी खण्डवा को प्रदर्शपी 7 का पत्र भेजकर वाहन महिन्द्रा पीकअप सफेद रंग की क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए 0118 किसके नाम पर पंजीकृत है, पूछा था, उसके द्वारा भेजे गये प्रदर्शपी 7 के पत्र के पीछे परिवहन कार्यालय द्वारा यह जानकारी दी गई कि वाहन का पंजीकृत स्वामी अभियुक्त राजेसिंह है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त साहूकारिया को ग्राम दानोद में गिरफ्तार किया था। उसने रवानगी एवं वापसी रोजनामचे की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जिस समय वह मौके पर पहुँचा उस समय वहाँ पर कोई भी अभियुक्त नहीं था तथा उपस्थित साक्षी ने अपने कथनों में किसी साक्षी का नाम नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह मौखिक रूप नहीं बता सकता है कि उसके साथ ग्राम दानोद में कौन पुलिस कर्मी गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साहूकारिया और अमजद को इस मामले में शामिल होने की कोई जानकारी उसे नहीं थी अथवा उसने केवल शंका के आधार पर अभियुक्त साहूकारिया एवं अमजद को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आर.टीओ. कार्यालय खण्डवा से जानकारी दिनांक 30.03.2010 को प्राप्त हुई थी।

9. निरीक्षक के.एल. वरकड़े असा 12 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 18/2010 की विवेचना के दौरान अभियुक्त साहूकारिया से पूछताछ करने पर मुकेश का घर बताने के संबंध में मेमोरेण्डम देना बताया है तथा प्रदर्शपी 19 के मेमोरेण्डम पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी ने अभियुक्त अमजद को गिरफ्तार करने और उसके द्वारा मुकेश से मिलकर सागवान की 44 नग लकड़ियाँ उक्त वाहन में भराकर ले जाने के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 12 तैयार करना बताया है, लेकिन अभियुक्त का उक्त कथन संस्वीकृति की श्रेणी में आता है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार उक्त कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसी प्रकार अभियुक्त साहूकारिया का साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दिया गया

प्रदर्शपी 8 का मेमोरेण्डम भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा अभियुक्त अमजद का प्रदर्शपी 9 का मेमोरेण्डम भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। साक्षी ने अभियुक्त जगदीश को गिरफ्तार करना और उसकी सूचना के आधार पर उसके कब्जे वाले स्थान से 3 नग सागवान की चौखट प्रदर्शपी 21 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। इस साक्षी ने जप्त 3 नग सागवान की चौखट की पहचान आर्टिकल “ए” के रूप में की है तथा साक्षी देवेन्द्र, मांगीलाल बंशीलाल एवं विक्रम के कथन उनके बताये अनुसार लेना बताया है।

10. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पंचसाक्षी मनोज एवं जगदीश को तलब करने के लिए कोई सूचना पत्र नहीं दिया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 8 व 19 पर अपनी लिखावट नहीं होने से इंकार किया है। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि उक्त लिखावट प्रधान आरक्षक दुलीचंद पाटीदार की नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे देवेन्द्र, विक्रम एवं मांगीलाल एवं बंशीलाल ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने अभियुक्त जगदीश से कोई लकड़ियाँ जप्त नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये थे।

11. लिपिक चन्द्रशेखर बाथम असा 9 ने परिवहन विभाग खण्डवा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ होने तथा दिनांक 26.04.2006 को अभियुक्त राजेसिंह के नाम से वाहन महिन्द्रा पीकअप सफेद रंग की क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए 0118 का पंजीयन कार्यालय द्वारा कराये जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस थाना अंजड़ द्वारा उक्त वाहन के संबंध में प्रदर्शपी 7 का पत्र भेजा गया था, जिसके आधार पर उन्होंने प्रदर्शपी 14 के आधार पर यह जानकारी भेजी कि उक्त वाहन राजेसिंह के नाम से पंजीकृत है। साक्षी ने वाहन के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शपी 18 भी प्रमाणित कराई है।

12. बंशीलाल असा 10 का कथन है कि वर्ष 2010 में उसने वाहन वाहन महिन्द्रा पीकअप सफेद रंग की क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए 0118 मशाराम पिता टंटू से क़य किया था और उक्त वाहन मांगीलाल दयाल के मार्फत अमजद पिता मुबारिक मंसूरी को 3,32,000/- रुपये में विक्रय किया था। साक्षी ने विक्रय इकरारनामा प्रदर्शपी 16 प्रमाणित कराया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त वाहन उसके नाम पर नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त अमजद को वह पहले से पहचानता नहीं है और उसने अभियुक्त अमजद की पहचान के संबंध में भी कोई तस्दीक नहीं की है।

13. राधेश्याम तिवारी असा 11 का कथन है कि दिनांक 15.02.2010 को वनपरिक्षेत्र कार्यालय अंजड़ में उप वनपरिक्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ था। थाना अंजड़ के पत्र प्रदर्शपी 17 के आधार पर उसने जप्त वनोपज लकड़ियों की 44 नग सिल्लियों की नाप करवाई थी और पंचनामा प्रदर्शपी 4 भी तैयार करवाया था। साक्षी ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 18/10 में जप्त वाहन एवं सागवान की 44 नग सिल्लियों के निराकरण हेतु प्रदर्शपी 18 का पत्र प्राप्त होना भी बताया है।

14. प्रेमचंद असा 1, किशोर असा 2, भगवान असा 3 का कथन है कि ग्राम बिलवा में एक पीकअप वाहन पलटी खा गया था, जिनमें सागवान की लकड़ियाँ भरी हुई थी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी तब पुलिस पीकअप वाहन एवं लकड़ियाँ लेकर चली गई। उक्त साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनको लकड़ियाँ चोरी की लगी थी, इस कारण उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। यहाँ तक कि साक्षियों ने वाहन का क्रमांक व लकड़ियों की संख्या भी पुलिस को बताने से इंकार किया है यहाँ तक कि पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है।

15. नगर सैनिक विक्रम कौशल असा 5 का कथन है कि दिनांक 80.02.2010 को वह थाना अंजड़ में नगर सैनिक के पद पर था तथा थाना प्रभारी के.के. मिश्रा के साथ ग्राम भुलगाँव गया था, वहाँ अभियुक्त साहूकारिया को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 5, 8, 9 व 10 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियुक्त साहूकारिया द्वारा के.के.मिश्रा को प्रदर्शपी 8 का मेमोरेण्डम देना बताया है, लेकिन अभियुक्त द्वारा दिया गया उक्त मेमोरेण्डम साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने थाना प्रभारी के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। उसमें क्या लिखा था, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है।

16. देवेन्द्र असा 6 एवं जगदीश असा 7 ने अभियुक्तों को पहचानने से स्पष्ट इंकार किया है और अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के मामले का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है और अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है।

17. पंचायत सचिव ग्यारसीलाल जाधव असा 8 ने दिनांक 18.04.2010 को थाना अंजड़ द्वारा मुकेश डावर नामक व्यक्ति के संबंध में पूछताछ करने पर प्रदर्शपी 13 का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कथन किये हैं।

18. इस प्रकार अभियोजन के समस्त दस्तावेजों एवं साक्षियों के कथन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों द्वारा घटना दिनांक, स्थान व समय पर अवैध रूप से जंगल से काटी गई 44 नग लकड़ियों चोरी से वाहन महिन्द्रा पीकअप सफेद रंग की क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए 0118 में भरकर उनका परिवहन किया जा रहा था अथवा अभियुक्त राजेसिंह ने यह जानते हुए कि उक्त सागवान की लकड़ियाँ अवैध रूप से चुराई गई वनोपज है उनका परिवहन अपने वाहन में करवाया। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 379 सहपठित धारा 34 भा.द.स., धारा 41/42 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 5/16 म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियम अधिनियम) के अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

19. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त अभियुक्त साहूकारिया, जगदीश, राजेसिंह एवं अमजद के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त साहूकारिया, जगदीश, राजेसिंह एवं अमजद को संदेह का लाभ देते हुए धारा 379 सहपठित धारा 34 भा.द.स., धारा 41/42 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 5/16 म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियम अधिनियम) के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा सागवान 44 नग सिल्लिया एवं वाहन महिन्द्रा पीकअप सफेद रंग की क्रमांक एम.पी. 12 जी.ए 0118 के संबंध में किसी भी अभियुक्त या अन्य व्यक्ति ने अपनी स्वत्व की होना नहीं बताया है। अतः उक्त वाहन एवं सिल्लियाँ अपील अवधि पश्चात् राजसात करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी को पत्र जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी